Annexure-I
Case No. 80-/B-121/Year 2018-19

# FORM-I

(for linear projects)
Government of Chhattisgarh
Office of the District Collector Gariaband
**********

No. 3406 Date 03/08/19

## TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) Dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purpose read with MoEF,s letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear Project, it is certified that **24.569** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of - Project Manager (ADB Project) Chhattisgarh State Road Sector Project Division Raipur PWD Sirpur Bhawan Raipur for - Rehabitation and Upgrading of Panduka, Jatmai, Ghatarani, Madeli, Mudagaon Road in Gariaband District falls within Jurisdiction of – Kurud, Gadaghat, Sakra, Piparchedi, Taurenga, Madeli village(s) in Chhura -tehsil.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 24.569 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama sabhas have given their consent to it,

(c) the proposal does not involve rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

Shyam Dhawde
(IAS) 3/8/19
Collector & District Magistrate
District, Gariaband

प्रदर्श "स"

रा0मा0क्र0 80../ब–121/वर्ष 2018–19

# प्रमाण पत्र

कार्यालय परियोजना प्रबंधक (ए.डी.बी.) प्रोजेक्ट छ0ग0 राज्य सड़क क्षेत्र परियोजना रायपुर सभाग रायपुर लो0नि0वि0 सिरपुर भवन, रायपुर (छ0ग0) को **पाण्डुका जतमई घटारानी मड़ेली मुड़ागांव पुनर्निर्माण एवं उन्नयन कार्य हेतु** तहसील छुरा जिला गरियाबंद के **कुरूद/गाड़ाघाट/सांकरा/पीपरछेड़ी/तौरेंगा/मड़ेली** गांव के वन भूमि व्यपवर्तन हेतु रकबा **24.569** हेक्टेयर बडे झाड के जंगल/वन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 व संशोधन नियम 2012 का प्रमाण पत्र।

01/– प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 व संशोधन नियम 2012 में निहित सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है। सडक निर्माण कार्य हेतु सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की राजस्व वन भूमि/वन भूमि 24.569 हेक्टेयर है, जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा ग्राम कुरूद/गाडाघाट/सांकरा/पीपरछेडी/तौरेंगा/मडेली तहसील छुरा में स्थित है, में तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गयी है।

ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव (प्रदर्श 'अ') एवं वन तथा राजस्व विभाग का संयुक्त जांच प्रतिवेदन (प्रदर्श 'ब') पर दर्शित है।

02/– ग्राम पंचायत कुरूद/गाड़ाघाट/सांकरा/तौरेंगा के सरपंच की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा की बैठक दिनांक 23.01.2019 व ग्राम पंचायत पीपरछेडी/मड़ेली के सरपंच की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा की बैठक दिनांक 02.10.2018/25.08.2018 में 50 प्रतिशत ग्राम सभा के तथा ग्राम वन समिति के सदस्य उपस्थित थे। जिसमें यह पाया गया है कि इस क्षेत्र में अधिनियम के तहत वन अधिकार मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले कोई व्यक्ति नहीं है।

अथवा

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्मानुसार है।

| क्र. | ग्राम का नाम | प्रस्तावित भूमि में वन अधिकार मान्यता पत्र धारक | रकबा (हे.मे.) |
|---|---|---|---|
| 01. | कुरूद | निरंक | निरंक |
| 02. | गाडाघाट | निरंक | |
| 03. | सांकरा | निरंक | |
| 04. | पीपरछेडी | निरंक | |
| 05. | तौरेंगा | निरंक | |
| 06. | मडेली | निरंक | |

03/– यह प्रमाणित किया जाता है कि अनुविभागीय अधिकारी (रा0) गरियाबंद के प्रतिवेदन दिनांक 29.05.2019 व उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 27.05.2019 के अनुसार ऐसे विलुप्त प्रायः जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपर्वतन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नहीं है, जिनका वन अधिकार अनुसुचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (1) (ड.) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।

04/– राजस्व/वन विभाग के संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन/ग्राम सभा के प्रस्ताव/उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक दिनांक 27.05.2019/जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक दिनांक 16.07.2019 के संकल्पों के आधार यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसुचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता ) अधिनियम 2006 की धारा 3 (2) के अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नही है ।

दिनांक:– 03.08.2019

(श्याम धावड़े)
कलेक्टर 3/8/19
अध्यक्ष– जिला वन अधिकार समिति
जिला गरियाबंद (छ.ग.)

न्यायालय कलेक्टर * जिला–गरियाबंद (छ.ग.)

# अनुविभाग स्तरीय वन अधिकार समिति गरियाबंद, जिला–गरियाबंद (छ0ग0)

## //बैठक की कार्यवाही का विवरण//

अनुसूचित जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 तथा संशोधित अधिनियम 2012 के तहत परियोजना प्रबंधक (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) छ0ग0 राज्य सड़क क्षेत्र परियोजना रायपुर संभाग रायपुर लो.नि.वि. सिरपुर भवन रायपुर द्वारा ग्राम कुरूद, गाडाघाट, सांकरा, पीपरछेड़ी, तौरेंगा एवं ग्राम मडेली में पाण्डुका, जतमई, घटारानी, गायडबरी, मडेली, मुडागॉव मार्ग का चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य हेतु ग्रामसभा की अनुसंशा सहित प्रस्ताव अनुविभाग स्तरीय समिति को प्राप्त हुआ है।

प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है:–

| क. | ग्राम का नाम | वन कक्ष क. | खसरा क. | वनभूमि रकबा(हे0) | राजस्व वनभूमि रकबा(हे0) | मद |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | कुरूद | | 745 | | 0.014 | बड़े झाड़ के जंगल |
| | | | 725 | | 0.128 | " |
| | | | 746 | | 0.012 | " |
| | | | 724 | | 0.004 | " |
| | | | 722 | | 0.045 | " |
| | | | 710 | | 0.042 | " |
| | | | 709 | | 0.024 | " |
| 2. | गाडाघाट | | 547 | | 0.077 | बड़े झाड़ के जंगल |
| | | | 548 | | 0.168 | " |
| | | | 550 | | 0.012 | " |
| | | | 552 | | 0.120 | " |
| | | | 829 | | 0.183 | " |
| | | | 831 | | 0.026 | " |
| | | | 833 | | 0.052 | " |
| | | | 834 | | 0.010 | " |
| | | | 835 | | 0.146 | " |
| 3. | सांकरा | | 86 | | 0.115 | " |
| | | | 245 | | 0.329 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 76 | | 2.655 | | संरक्षित वनभूमि |
| 4. | पीपरछेड़ी | | 2 | | 1.398 | बड़े झाड़ के जंगल |
| | | | 12 | | 0.152 | " |
| | | | 234 | | 0.256 | " |
| | | | 428 | | 0.436 | " |
| | | | 448 | | 0.761 | " |
| | | | 454 | | 0.194 | " |
| | | | 468 | | 0.320 | " |
| | | 90 | | 0.644 | | आरक्षित वनभूमि |
| | | 94 | | 2.033 | | संरक्षित वनभूमि |
| | | 109 | | 1.025 | | आरक्षित वनभूमि |
| | | 111 | | 1.600 | | संरक्षित वनभूमि |
| | | 113 | | 2.433 | | " |
| | | 114 | | 1.641 | | आरक्षित वनभूमि |
| | | 115 | | 1.968 | | " |
| | | 116 | | 0.654 | | " |
| 5. | तौरेंगा | | 104 | | 0.088 | बड़े झाड़ के जंगल |
| | | 117 | | 1.067 | | संरक्षित वनभूमि |
| | | 118 | | 0.214 | | आरक्षित वनभूमि |
| | | 119 | | 3.457 | | " |
| 6. | मडेली | | 1752 | | 0.054 | बड़े झाड़ के जंगल |
| | | | 1781 | | 0.012 | " |
| | | | **योग** | **19.391हे0** | **5.178** | |
| | | | कुल योग | **24.569हे0** | | |

प्रस्तावित भूमि पर विचार करने हेतु आज दिनांक 27/5/2019 को अनुविभाग स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई जिसमें परीक्षण उपरान्त यह पाया गया कि प्रस्तावित

भूमि में वन अधिकार अधिनियम के तहत किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत एवं सामुदायिक हेतु मान्यता प्रमाण पत्र का वितरण नहीं किया गया है।

अतः उपरोक्त प्रस्तावित भूमि पर पाण्डुका, जतमई, घटारानी, गायडबरी, मडेली, मुडागांव, मार्ग का चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य किये जाने हेतु अनुविभाग स्तरीय समिति द्वारा अनुशंसा कर जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

**अनुविभागीय अधिकारी (रा.)**
अनुविभागीय अधिकारी (रा0) गरियाबंद
अध्यक्ष, अनुभाग स्तरीय समिति गरियाबंद

उप व.म.अ
उप वन मण्डलाधिकारी गरियाबंद
सदस्य, अनुभाग स्तरीय समिति गरियाबंद

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत गरियाबंद
सदस्य, अनुभाग स्तरीय समिति गरियाबंद

जनपद सदस्य
श्रीमती चेतन बाई
जनपद पंचायत गरियाबंद
जनपद पंचायत सदस्य क्षेत्र क्र. 14 गरियाबंद
सदस्य, अनुभाग स्तरीय समिति गरियाबंद

श्रीमती जागेश्वरी ध्रुव,
जनपद पंचायत सदस्य क्षेत्र क. 05, छुरा,
सदस्य, अनुभाग स्तरीय समिति गरियाबंद

प्रदर्श "अ"

# वन एवं राजस्व विभाग के अधिकारीयों का संयुक्त जांच प्रतिवेदन

1. पांडुका - जतमई - घटारानी - गायडबरी - मडेली - मुडागॉव मार्ग के चौडीकरण एवं उन्नयन कार्य हेतु गरियाबंद जिले में छुरा तहसील के अन्तर्गत ग्राम कुरूद के खसरा नंबर 745 (रकबा 0.014 हे.), 725(रकबा 0.128 हे.) ,746 (रकबा 0.012 हे.), 724 (रकबा 0.004 हे.), 722 (रकबा 0.045 हे.), 710 (रकबा 0.042 हे.), 709 (रकबा 0.024 हे.) कुल रकबा **0.269** हे. बड़े झाड़ के जंगल वन क्षेत्र के व्यपवर्तन किये जाने हेतु आवेदन किया गया है |
2. गैर वानिकी कार्य हेतु व्यपवर्तित किये जाने हेतु आवेदित उक्त भूमि का आज दिनांक 19/12/2018 को राजस्वा विभाग , वन विभाग एवं आवेदक संस्थान के अधिकारीयों / कर्मचारियों की उपस्थिति में स्थल नोरिक्षण किया गया |
3. वन भूमि के उक्त प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन बाबत अनुसूचित जनजाती एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के परिप्रेक्ष्य में स्थल निरिक्षण किये जाने पर व्यपवर्तन हेतु आवेदित भूमि पर किसी आदिवासी एवं अन्य परंपरागत वन निवासी का कृषि कार्य अथवा आवास अथवा अन्य पारंपरिक गतिविधि का निष्पादन कर कब्ज़ा नहीं पाया गया तथा उक्त भूमि व्यक्तिगत एवं सामुदायिक उपयोग किया जाना भी किसी आदिवासी एवं अन्य परंपरागत वन निवासी का नहीं पाया गया |
4. स्थल निरीक्षण के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है की ऐसे विलुप्त प्राय जनजाती समूह (पी.जी.टी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु आवेदित भूमि पर निवासरत नहीं हैं जिनका अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता ) अधिनियम 2006 की धारा 3 (1) (e) के अन्तर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखा जाना है |
5. व्यपवर्तन हेतु आवेदित भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता ) अधिनियम 2006 की धारा 3 (2) के अन्तर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विधमान नहीं है |
6. अतः इस परिप्रेक्ष्य में गैर वानिकी प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन हेतु आवेदित उक्त वन भूमि का व्यपवर्तन किया जा सकता है |

राजस्व निरीक्षक
रा.नि.मं. छुरा,तह.छुरा
जिला-गरियाबंद

19/12/2018
PCCF-17

19-12-18
Quality Assurer
A.D.B. Project C.G.R.D.P.
P.W.D., Raipur. (C.G.)

सहायक परियोजना अधिकारी
छुरा

19.12-18
ASSISTANT PROJECT MANAGER
A.D.B. PROJECT,
DEVELOPMENT PROJECT,

(71)

प्रदर्श "ब"

**ग्राम सभा** कुरूद **की बैठक दिनांक** 23/1/19 **की कार्यवाही का विवरण**

**ग्राम** कुरूद

**स्थान** ग्राम पंचायत

आज दिनांक 23/1/19 को ग्राम सभा एवं वन समिती के सदस्य बैठक मे उपस्थित थे, बैठक मे निम्न विषयों पर चर्चा की गयी :-

1. ग्राम कुरूद में आवेदक परियोजना प्रबंधक , छत्तीसगढ़ राज्य सड़क क्षेत्र परियोजना (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट ), रायपुर द्वारा जिला गरियाबन्द अन्तर्गत पांडुका जतमय घटारानी गायडबरी मडेली मुडागाँव मार्ग का 2 लेन चौडीकरण एवं उन्नयन कार्य की परियोजना हेतु गैर वानिकी प्रयोजन हेतु वन भूमि की मांग की गयी है, इस प्रस्ताव बाबत विस्तृत चर्चा की गयी |
2. प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं प्रस्तावित व्यपवर्तित की जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी |
3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिपेक्ष्य में अनुसूचित जन जाती एवं गैर परम्परागत वन निवासी वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी | जो वन भूमि परियोजना हेतु व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी , गैर परम्परागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य , आवास या अन्य पारंपरिक गतिविधी संपादित नहीं कर रहे हैं एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक ) किसी आदिवासी या गैर परम्परागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है |

**अथवा**

निम्न आदिवासी / गैर परम्परागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है:-

| क्र. | ग्राम का नाम | वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम | रकबा (हे. में ) |
|---|---|---|---|
| | शून्य | निरंक | निरंक |

अतः यह एक मत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि 24.569 हेक्टेयर आरक्षित / संरक्षित / राजस्व वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन के लिये पांडुका जतमय घटारानी गायडबरी मडेली मुडागाँव मार्ग का 2 लेन चौडीकरण एवं उन्नयन कार्य की परियोजना के लिये अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधानों अनुसार व्यपवर्तित की जावे |

हस्ताक्षर/सील
(सचिव)
ग्राम पंचायत कुरूद
वि.ख. छुरा जिला गरियाबंद (छ.ग.)

हस्ताक्षर/सील
सरपंच
ग्राम पंचायत कुरूद
वि.ख. छुरा जिला गरियाबंद (छ.ग.)

उपखण्ड प.ह.नं.17 तह. इरा मुख्यालय कुरुद जिला गरियाबंद

प्रति

(23)

तहसीलदार
इरा

विषय - मार्ग कच्चा निर्माण एवं उन्नयन कार्य हेतु संयुक्त जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बाबत।

सन्दर्भ : क्र. 1001/पारि प.ब/एसीबी/बी-3/2018-19 रायपुर 06/08/18 इरा दिनांक 04/12/18

उपरोक्त विषय एवं सन्दर्भ के अन्तर्गत लेख है कि पाण्डुका जामगहन बगाखती मेढ़ली मुड़ापार मार्ग उन्नयन कार्य हेतु ADB Project Advisor संभाग द्वारा पत्र के अनुसार तहसीलदार इरा के आदेश दिनांक 04/12/2018 को संयुक्त जाँच हेतु आवेदन प्राप्त हुआ। जिसके अनुसार दिनांक 19/12/18 को ग्राम कुरुद में संयुक्त रूप से जाँच किया गया जिसमें खसरा नम्बर 745, 725, 724, 722, 710, 709 रकबा क्रमशः 0.014, 0.128, 0.412, 0.004, 0.045, 0.042, 0.024 है भूमि भाठा राजस्व भूमि में है इन खसरा नम्बरों पर आम तथा वन अधिकार मान्यता प्रपत्र किसी व्यक्ति विशेष एवं संस्था को प्रदान नहीं किया गया है। तथा मार्ग के दोनों किनारे 300 मी. के दायरा में कोई भी ऐतिहासिक स्थल इस ग्राम में नहीं है।

अतः यह प्रतिवेदन न्यायालय तहसीलदार इरा को आगामी कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

19/12/18
प.ह.17
मुख्यालय कुरुद

प्रदर्श "अ"

# वन एवं राजस्व विभाग के अधिकारीयों का संयुक्त जांच प्रतिवेदन

1. पांडुका - जतमई - घटारानी - गायडबरी - मडेली - मुडागाँव मार्ग के चौडीकरण एवं उन्नयन कार्य हेतु गरियाबंद जिले में छुरा तहसील के अन्तर्गत ग्राम **गाडाघाट** के खसरा नंबर 547 (रकबा 0.077 हे.), 548(रकबा 0.168 हे.) ,550 (रकबा 0.012 हे.), 552 (रकबा 0.12 हे.), 829 (रकबा 0.183 हे.), 831 (रकबा 0.026 हे.), 833 (रकबा 0.052 हे.), 834 (रकबा 0.010 हे.), 835 (रकबा 0.146 हे.), एवं ग्राम **सांकरा** के खसरा नंबर 86 (0.115 हे.) 245 (0.329 हे.) कुल रकबा **1.238** हे. बड़े झाड़ के जंगल एवं गरियाबंद वन मन्डल में पांडुका परिक्षेत्र अन्तर्गत आरक्षित / संरक्षित वन क्षेत्र कक्ष क्र. 76 (रकबा 2.655 हे.), के व्यपवर्तन किये जाने हेतु आवेदन किया गया है ।
2. गैर वानिकी कार्य हेतु व्यपवर्तित किये जाने हेतु आवेदित उक्त भूमि का आज दिनांक ....25/01/19..... को राजस्वा विभाग , वन विभाग एवं आवेदक संस्थान के अधिकारीयों / कर्मचारियों की उपस्थिति में स्थल नोरिक्षण किया गया ।
3. वन भूमि के उक्त प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन बाबत अनुसूचित जनजाती एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के परिप्रेक्ष्य में स्थल निरिक्षण किये जाने पर व्यपवर्तन हेतु आवेदित भूमि पर किसी आदिवासी एवं अन्य परंपरागत वन निवासी का कृषि कार्य अथवा आवास अथवा अन्य पारंपरिक गतिविधि का निष्पादन कर कब्ज़ा नहीं पाया गया तथा उक्त भूमि व्यक्तिगत एवं सामुदायिक उपयोग किया जाना भी किसी आदिवासी एवं अन्य परंपरागत वन निवासी का नहीं पाया गया ।
4. स्थल निरीक्षण के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है की ऐसे विलुप्त प्राय जनजाती समूह (पी.जी.टी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु आवेदित भूमि पर निवासरत नहीं हैं जिनका अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता ) अधिनियम 2006 की धारा 3 (1) (e) के अन्तर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखा जाना है ।
5. व्यपवर्तन हेतु आवेदित भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता ) अधिनियम 2006 की धारा 3 (2) के अन्तर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विधमान नहीं है ।
6. अतः इस परिप्रेक्ष्य में गैर वानिकी प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन हेतु आवेदित उक्त वन भूमि का व्यपवर्तन किया जा सकता है ।

25-1-19
Quality Assurer
A.D.B. Project C.G.R.D.
P.W.D., Raipur. (C.G.)

रा.नि.मं. छुरा,
जिला-गरियाबंद

25-1-19
ASSISTANT PROJECT MANAGER
A.D.B. PROJECT,
ROAD DEVELOPMENT PROJECT,
P.W.D. RAIPUR

प्रदर्श "ब"

**ग्राम सभा** ~~तरिमा~~ गाड़ाघाट **की बैठक दिनांक** 23/01/19 **की कार्यवाही का विवरण**

**ग्राम** ~~तरिमा~~ गाड़ाघाट

**स्थान** पंचायत भवन

आज दिनांक 23/01/19 को ग्राम सभा एवं वन समिती के सदस्य बैठक मे उपस्थित थे, बैठक मे निम्न विषयों पर चर्चा की गयी :-

1. ग्राम ~~तरिमा~~ में आवेदक परियोजना प्रबंधक , छत्तीसगढ़ राज्य सड़क क्षेत्र परियोजना (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट ), रायपुर द्वारा जिला गरियाबन्द अन्तर्गत पांडुका जतमय घटारानी गायडबरी मडेली मुडागाँव मार्ग का 2 लेन चौडीकरण एवं उन्नयन कार्य की परियोजना हेतु गैर वानिकी प्रयोजन हेतु वन भूमि की मांग की गयी है, इस प्रस्ताव बाबत विस्तृत चर्चा की गयी |
2. प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं प्रस्तावित व्यपवर्तित की जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी |
3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिपेक्ष्य में अनुसूचित जन जाती एवं गैर परम्परागत वन निवासी वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी | जो वन भूमि परियोजना हेतु व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी , गैर परम्परागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य , आवास या अन्य पारंपरिक गतिविधी संपादित नहीं कर रहे हैं एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक ) किसी आदिवासी या गैर परम्परागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है |

**अथवा**

निम्न आदिवासी / गैर परम्परागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है:-

55

| क्र. | ग्राम का नाम | वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम | रकबा (हे. में ) |
|---|---|---|---|
| | गाड़ाघाट | निरंक | निरंक |

अतः यह एक मत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि 24.569 ....हेक्टेयर आरक्षित / संरक्षित / राजस्व वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन के लिये पांडुका जतमय घटारानी गायडबरी मडेली मुडागाँव मार्ग का 2 लेन चौडीकरण एवं उन्नयन कार्य की परियोजना के लिये अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधानों अनुसार व्यपवर्तित की जावे |

सचिव
हस्ताक्षर/सील
ग्राम पंचायत गाड़ाघाट
वि.ख.छुरा जिला गरियाबंद (छ.ग.)
(सचिव)

सरपंच
हस्ताक्षर/सील
ग्राम पंचायत गाड़ाघाट
वि.खं. छुरा, जिला गरियाबंद (छ.ग.)

# प्रमाण पत्र

परियोजना प्रबंधक , छत्तीसगढ़ राज्य सड़क क्षेत्र परियोजना (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट ), रायपुर द्वारा पांडुका जतमय घटारानी गायडबरी मडेली मुडागाँव मार्ग का 2 लेन चौडीकरण एवं उन्नयन कार्य की परियोजना हेतु ग्राम .....जाडाघाट..... ,तहसील .....छुरा..... , जिला - गरियाबंद, वन मंडल ...गरियाबंद..... के ग्राम के वन भूमि व्यपवर्तन हेतु ..24.569.. हेक्टेयर वन भूमि के प्रकरण में आदिवासी एवं अन्य गैर परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 का पालन प्रतिवेदन |

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य गैर परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 में नियत संपूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है तथा संपूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की वन भूमि 24.569.....हेक्टेयर आरक्षित / संरक्षित / राजस्व वन भूमि जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है , तथा ग्राम.....जाडाघाट.....तहसील.....छुरा....., जिला - गरियाबंद में स्थित है , में तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गयी है :-

   ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक .21/01/19.....(प्रदर्श - ब) एवं वन तथा राजस्व विभाग का संयुक्त प्रतिवेदन (प्रदर्श - अ) पर दर्शित है |

2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव ग्राम ...जाडाघाट.....में ग्राम सभा की बैठक दिनांक 23/01/19.....में रखा गया था जिसमें ग्राम सभा के तथा ग्राम वन समिती के सदस्य उपस्थित थे जिनको प्रयोजन के क्रियान्वयन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत कराकर विस्तार से हिंदी एवं स्थानीय भाषा में समझाइश दी गई | यह पाया गया कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार मान्यता पत्र धारक व्यक्ति नहीं हैं |

अथवा

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या आसंबाद निम्नानुसार है :-

| क्र. | ग्राम का नाम | वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम | रकबा (हे. में ) |
|---|---|---|---|
| 1. | आदाघाट | निरंक | निरंक |

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिए गये उसमें ग्राम सभा के न्यूनतम ....50.... % सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था |
4. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक ....23/01/19.... अनुसार ऐसे विलुप्त प्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नहीं हैं जिनको अनुसूचित जनजाति एवं गैर परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (1)(e) अन्तर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है |
5. संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के दिनांक ....23/01/19.... संकल्पों के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि अनुसूचित जनजाति एवं गैर परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धरा 3 (2) के अन्तर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विधमान नहीं है |

दिनांक ....23/01/19....

अध्यक्ष

वन ग्राम / वन अधिकार समिती

नाम ....अध्यक्ष....

वन अधिकार समिति

ग्राम....आदाघाट....

प्रदर्श "ब" (153)

**ग्राम सभा...सांकरा.... की बैठक दिनांक 23/01/19..... की कार्यवाही का विवरण**

**ग्राम** ...सांकरा.....

**स्थान** ...ग्राम पंचायत.....

आज दिनांक..23/01/19... को ग्राम सभा एवं वन समिती के सदस्य बैठक मे उपस्थित थे, बैठक मे निम्न विषयों पर चर्चा की गयी :-

1. ग्राम ...सांकरा.....में आवेदक परियोजना प्रबंधक , छत्तीसगढ़ राज्य सड़क क्षेत्र परियोजना (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट ), रायपुर द्वारा जिला गरियाबन्द अन्तर्गत पांडुका जतमय घटारानी गायडबरी मडेली मुडागाँव मार्ग का 2 लेन चौडीकरण एवं उन्नयन कार्य की परियोजना हेतु गैर वानिकी प्रयोजन हेतु वन भूमि की मांग की गयी है, इस प्रस्ताव बाबत विस्तृत चर्चा की गयी |
2. प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं प्रस्तावित व्यपवर्तित की जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी |
3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिपेक्ष्य में अनुसूचित जन जाती एवं गैर परम्परागत वन निवासी वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी | जो वन भूमि परियोजना हेतु व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी , गैर परम्परागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य , आवास या अन्य पारंपरिक गतिविधी संपादित नहीं कर रहे हैं एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक ) किसी आदिवासी या गैर परम्परागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है |

**अथवा**

निम्न आदिवासी / गैर परम्परागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है.-

| क्र | ग्राम का नाम | उन प्रतिकार मान्यता पत्र धारक का नाम | रकबा (है. में) |
|---|---|---|---|
| (1) | अनीकर | निरंक | 0 |

(155)

अतः यह एक मत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि 24.549 हेक्टेयर आरक्षित / संरक्षित / राजस्व कम भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन के लिए पाइपलाइन आवासीय पटरानी सामुदायिक महानी मुक्तिमार्ग आदि का 2 लेन चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य की परियोजना के लिए अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधानों अनुसार स्थानांतरित की जाये।

ग्राम पंचायत सचिव
वि.ख. पुरे तिवारी (कै.पु.)

सरपंच
ग्राम पंचायत
वि.ख. पुरे तिवारी (कै.पु.)

# प्रमाण पत्र

परियोजना प्रबंधक , छत्तीसगढ राज्य सड़क क्षेत्र परियोजना (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट ), रायपुर द्वारा पांडुका जतमय घटारानी गायडबरी मडेली मुडागाँव मार्ग का 2 लेन चौडीकरण एवं उन्नयन कार्य की परियोजना हेतु ग्राम .....सोकरा..... ,तहसील .....छुरा..... , जिला - गरियाबंद, वन मंडल .....गरियाबंद..... के ग्राम के वन भूमि व्यपवर्तन हेतु .....24.569..... हेक्टेयर वन भूमि के प्रकरण में आदिवासी एवं अन्य गैर परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 का पालन प्रतिवेदन |

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य गैर परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 में नियत संपूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है तथा संपूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की वन भूमि .....24.569.....हेक्टेयर आरक्षित / संरक्षित / राजस्व वन भूमि जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा ग्राम.....सोकरा.....तहसील.....छुरा....., जिला - गरियाबंद में स्थित है , में तद्नुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गयी है :-

   ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक 23/1/19.....(प्रदर्श - ब) एवं वन तथा राजस्व विभाग का संयुक्त प्रतिवेदन (प्रदर्श - अ) पर दर्शित है |

2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव ग्राम .....सोकरा..... में ग्राम सभा की बैठक दिनांक 23/1/2019 में रखा गया था जिसमें ग्राम सभा के तथा ग्राम वन समिती के सदस्य उपस्थित थे जिनको प्रयोजन के क्रियान्वयन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत कराकर विस्तार से हिंदी एवं स्थानीय भाषा में समझाइश दी गई | यह पाया गया कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार मान्यता पत्र धारक व्यक्ति नहीं हैं |

अथवा

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रचलित वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या [illegible] निम्नानुसार है :-

| क्र. | ग्राम का नाम | वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम | रकबा (हे. में ) |
|---|---|---|---|
| 1 | सिमरा | निरंक | — |

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिए गये उसमें ग्राम सभा के न्यूनतम ....50.... % सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था ।
4. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक ....23/01/19.... अनुसार ऐसे विलुप्त प्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नहीं हैं जिनको अनुसूचित जनजाति एवं गैर परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (1)(e) अन्तर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है ।
5. संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के दिनांक ....23/01/19.... संकल्पों के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि अनुसूचित जनजाति एवं गैर परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धरा 3 (2) के अन्तर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विधमान नहीं है ।

दिनांक 23/01/2019

फगनूराम

अध्यक्ष

वन ग्राम / वन अधिकार समिती

नाम ....फगनूराम....

अध्यक्ष

वन अधिकार समिति

सिमरा

प्रतिवेदन

प्रति,

तहसीलदार
दुरु

15

विषय :- पाण्डुका - जतमई, घटारानी, मुडागांव मार्ग के पुनर्निर्माण एवं उन्नयन कार्य के संबंध मे जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि दिनांक 23/01/19 को तहसीलदार के आदेशानुसार ग्राम गाड़ाघाट एवं सोकरा पटवारी हल्का 15 मे उपस्थित होकर ग्राम पाण्डुका गायडबरी मुडागाव मार्ग का पुनः निर्माण एवं उन्नयन कार्य एडी बी लोन 3 के अंतर्गत आने वाले ग्राम गाड़ाघाट के ब.न. 547, 548, 550, 552, 82 831, 833, 834, 835 एवं ग्राम सोकरा के ब.न. 86 एवं 245 की भूमि का स्थल निरीक्षण सरपंच, पंचायत प्रतिनिधिगण, वन अधिकार समिति के सदस्य एवं कोटवार की उपस्थिति मे किया गया निरीक्षण मे पाया गया कि ग्राम गाड़ाघाट एवं सोकरा पटवारी हल्का 15 मे स्थित राजस्व वन भूमि मे किसी भी व्यक्ति को अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत, वन अधिकार मान्यता पत्र, एवं किसी संस्था या समिति को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण नही किया गया है।

अतएव प्रतिवेदन सह पंचनामा अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर संप्रेषित है।

Yadav
पटवारी 15

कार्यालय पद्म - 15 सांकरा तह. पुरा जिला भरतपुर -

प्रतिवेदन

(2)

प्रति

तहसीलदार
पुरा

विषय - मार्ग उन्नयन एवं पुनः निर्माण के समानुपातिक वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में

सन्दर्भ - शाख. 993 / परि.5 / ए.डी.बी / लोन. 3

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि पाण्डुका, मेड़ली मुडागांव मार्ग उन्नयन किया जाना है प्रस्तावित है। वन अधिनियम 1980 के अनुसार वृक्षारोपण हेतु राजस्व वन भूमि की आवश्यकता है जिसके अन्तर्गत वृक्षा रोपण हेतु राजस्व वन भूमि उपलब्ध नहीं है. जिस कारण वृक्षारोपण किया जाना संभव नहीं है।

अतः यह प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

Yadav
पद्म 15

# वन एवं राजस्व विभाग के अधिकारीयों का संयुक्त जाच प्रतिवेदन

(10)

1. पांडुका - जतमई - घटारानी - गायडबरी - मडेली - मुडागाँव मार्ग के चौडीकरण एवं उन्नयन कार्य हेतु गरियाबंद जिले में छुरा तहसील के अन्तर्गत ग्राम **पीपरछेड़ी** के खसरा नंबर 2 (रकबा 1.398 हे.), 12(रकबा 0.152 हे.) ,234 (रकबा 0.256 हे.), 428 (रकबा 0.436 हे.), 448 (रकबा 0.761 हे.), 454 (रकबा 0.194 हे.), 468 (रकबा 0.32 हे.) कुल रकबा **3.517** हे.. बड़े झाड़ के जंगल एवं गरियाबंद वन मन्डल में पांडुका परिक्षेत्र अन्तर्गत आरक्षित / संरक्षित वन क्षेत्र कक्ष क्र. 90 (रकबा 0.644 हे.), 94 (रकबा 2.033 हे.), 109 (रकबा 1.025 हे.), 111 (रकबा 1.600 हे.), 113 (रकबा 2.433 हे.), 114 (रकबा 1.641 हे.), 115 (रकबा 1.968 हे.), 116 (रकबा 0.654 हे.), कुल रकबा **11.998** हे.वन क्षेत्र के व्यपवर्तन किये जाने हेतु आवेदन किया गया है |
2. गैर वानिकी कार्य हेतु व्यपवर्तित किये जाने हेतु आवेदित उक्त भूमि का आज दिनांक 27/01/19 को राजस्वा विभाग , वन विभाग एवं आवेदक संस्थान के अधिकारीयों / कर्मचारियों की उपस्थिति में स्थल नोरिक्षण किया गया |
3. वन भूमि के उक्त प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन बाबत अनुसूचित जनजाती एवं अन्य परंपरागत वन निवासी '(वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के परिप्रेक्ष्य में स्थल निरिक्षण किये जाने पर व्यपवर्तन हेतु आवेदित भूमि पर किसी आदिवासी एवं अन्य परंपरागत वन निवासी का कृषि कार्य अथवा आवास अथवा अन्य पारंपरिक गतिविधि का निष्पादन कर कब्ज़ा नहीं पाया गया तथा उक्त भूमि व्यक्तिगत एवं सामुदायिक उपयोग किया जाना भी किसी आदिवासी एवं अन्य परंपरागत वन निवासी का नहीं पाया गया |
4. स्थल निरीक्षण के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है की ऐसे विलुप्त प्राय जनजाती समूह (पी.जी.टी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु आवेदित भूमि पर निवासरत नहीं हैं जिनका अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता ) अधिनियम 2006 की धारा 3 (1) (e) के अन्तर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखा जाना है |
5. व्यपवर्तन हेतु आवेदित भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता ) अधिनियम 2006 की धारा 3 (2) के अन्तर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विधमान नहीं है |
6. अतः इस परिप्रेक्ष्य में गैर वानिकी प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन हेतु आवेदित उक्त वन भूमि का व्यपवर्तन किया जा सकता है |

27-1-19
Quality Assurer
A.D.B. Project C.G.R.D.P.
P.W.D., Raipur. (C.G.)

जरगांव परि. पान्डुका

सहा. परि. अधिकारी
गायडबरी

27/1/2019

27-1-19
ASSISTANT PROJECT MANAGER
A.D.B. PROJECT,
ROAD DEVELOPMENT PROJECT,
P.W.D. RAIPUR

प्रभारी निरीक्षक
रा.नि.मं. छुरा,
जिला-गरियाबंद

प्रदर्श "ब"

(103)

**ग्राम सभा** पीपरछेड़ी **की बैठक दिनांक** 2/10/18 **की कार्यवाही का**

**विवरण**

**ग्राम** पीपरछेड़ी

**स्थान** ग्राम पंचायत

आज दिनांक 2/10/18 को ग्राम सभा एवं वन समिती के सदस्य बैठक मे उपस्थित थे, बैठक मे निम्न विषयों पर चर्चा की गयी :-

1. ग्राम पीपरछेड़ी में आवेदक परियोजना प्रबंधक , छत्तीसगढ़ राज्य सड़क क्षेत्र परियोजना (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट ), रायपुर द्वारा जिला गरियाबन्द अन्तर्गत पांडुका जतमय घटारानी गायडबरी मडेली मुडागाँव मार्ग का 2 लेन चौडीकरण एवं उन्नयन कार्य की परियोजना हेतु गैर वानिकी प्रयोजन हेतु वन भूमि की मांग की गयी है, इस प्रस्ताव बाबत विस्तृत चर्चा की गयी ।
2. प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं प्रस्तावित व्यपवर्तित की जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी ।
3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिपेक्ष्य में अनुसूचित जन जाती एवं गैर परम्परागत वन निवासी वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी । जो वन भूमि परियोजना हेतु व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी , गैर परम्परागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य , आवास या अन्य पारंपरिक गतिविधी संपादित नहीं कर रहे हैं एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक ) किसी आदिवासी या गैर परम्परागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है ।

**अथवा**

निम्न आदिवासी / गैर परम्परागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है:-

| क्र. | ग्राम का नाम | वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम | रकबा (हे. में ) |
|---|---|---|---|
| 1. | पीपरछेड़ी | शून्य | शून्य |

105

अतः यह एक मत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि 24.569 हेक्टेयर आरक्षित / संरक्षित / राजस्व वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन के लिये पांडुका जतमय घटारानी गायडबरी मडेली मुडागाँव मार्ग का 2 लेन चौडीकरण एवं उन्नयन कार्य की परियोजना के लिये अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधानों अनुसार व्यपवर्तित की जावे |

सचिव
ग्राम पंचायत-पिपरछेड़ी
वि.खं.छुरा, जिला-गरियाबंद(छ.ग
हस्ताक्षर/सील
(सचिव)

हस्ताक्षर/सील
(सरपंच)
सरपंच
ग्राम पं.पीपरछेड़ी
वि.खं.छुरा, जि.गरियाबंद(छ.ग

प्रदर्श "स"

## प्रमाण पत्र

परियोजना प्रबंधक , छत्तीसगढ़ राज्य सड़क क्षेत्र परियोजना (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट ), रायपुर द्वारा पांडुका जतमय घटारानी गायडबरी मडेली मुडागाँव मार्ग का 2 लेन चौडीकरण एवं उन्नयन कार्य की परियोजना हेतु ग्राम ..पीपरखेड़ी ,तहसील चुरेर ..... , जिला - गरियाबंद, वन मंडल .. पांडुका के ग्राम के वन भूमि व्यपवर्तन हेतु 24.569 हेक्टेयर वन भूमि के प्रकरण में आदिवासी एवं अन्य गैर परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 का पालन प्रतिवेदन ।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य गैर परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 में नियत संपूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है तथा संपूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की वन भूमि ....हेक्टेयर आरक्षित / संरक्षित / राजस्व वन भूमि जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है , तथा ग्राम. पीपरखेड़ी .....तहसील. चुरेर ....., जिला - गरियाबंद में स्थित है , में तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गयी है :-

   ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक 2/10/18 .....(प्रदर्श - ब) एवं वन तथा राजस्व विभाग का संयुक्त प्रतिवेदन (प्रदर्श - अ) पर दर्शित है ।

2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव ग्राम ..पीपरखेड़ी .....में ग्राम सभा की बैठक दिनांक 2/10/18 .....में रखा गया था जिसमें ग्राम सभा के तथा ग्राम वन समिती के सदस्य उपस्थित थे जिनको प्रयोजन के क्रियान्वयन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत कराकर विस्तार से हिंदी एवं स्थानीय भाषा में समझाइश दी गई । यह पाया गया कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार मान्यता पत्र धारक व्यक्ति नहीं हैं ।

अथवा

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है :-

| क्र. | ग्राम का नाम | वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम | रकबा (हे. में ) |
|---|---|---|---|
| | | | निरंक |

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिए गये उसमें ग्राम सभा के न्यूनतम 50.... % सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था ।
4. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 2/10/18.....अनुसार ऐसे विलुप्त प्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नहीं हैं जिनको अनुसूचित जनजाति एवं गैर परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (1)(e) अन्तर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है ।
5. संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के दिनांक ..2/10/18.... संकल्पों के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि अनुसूचित जनजाति एवं गैर परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धरा 3 (2) के अन्तर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विधमान नहीं है ।

दिनांक 2/10/18.....

अध्यक्ष

वन ग्राम / वन अधिकार समिती

नाम .....

अध्यक्ष
वन अधिकार समिति
ग्राम...[illegible]...

प्रदर्श "ब"

**ग्राम सभा ...नापडबरी..... की बैठक दिनांक.....25/12/2018..... की कार्यवाही का विवरण**

**ग्राम** ...नापडबरी.....

**स्थान** .....

आज दिनांक...25/12/18..... को ग्राम सभा एवं वन समिती के सदस्य बैठक मे उपस्थित थे, बैठक मे निम्न विषयों पर चर्चा की गयी :-

1. ग्राम ...नापडबरी.....में आवेदक परियोजना प्रबंधक , छत्तीसगढ़ राज्य सड़क क्षेत्र परियोजना (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट ), रायपुर द्वारा जिला गरियाबन्द अन्तर्गत पांड़का जतमय घटारानी गायडबरी मडेली मुडागाँव मार्ग का 2 लेन चौडीकरण एवं उन्नयन कार्य की परियोजना हेतु गैर वानिकी प्रयोजन हेतु वन भूमि की मांग की गयी है, इस प्रस्ताव बाबत विस्तृत चर्चा की गयी |
2. प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं प्रस्तावित व्यपवर्तित की जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी |
3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिपेक्ष्य में अनुसूचित जन जाती एवं गैर परम्परागत वन निवासी वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी | जो वन भूमि परियोजना हेतु व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी , गैर परम्परागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य , आवास या अन्य पारंपरिक गतिविधी संपादित नहीं कर रहे हैं एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक ) किसी आदिवासी या गैर परम्परागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है |

**अथवा**

निम्न आदिवासी / गैर परम्परागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है :-

| क्र. | ग्राम का नाम | वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम | रकबा (हे. में ) |
|---|---|---|---|
| 1. | गायडबरी | निरंक | निरंक |

अतः यह एक मत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि 24.569 हेक्टेयर आरक्षित / संरक्षित / राजस्व वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन के लिये पांडुका जतमय घटारानी गायडबरी मडेली मुडागाँव मार्ग का 2 लेन चौडीकरण एवं उन्नयन कार्य की परियोजना के लिये अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधानों अनुसार व्यपवर्तित की जावे |

सचिव
हस्ताक्षर/सील
ग्राम पंचायत-गायडबरी,
वि.खं.छुरा,जिला-गरियाबंद (छ.ग.)
(सचिव)

हस्ताक्षर/सील
ग्राम पंचायत-गायडबरी
वि.खं.छुरा,जि.गरियाबंद(छ.ग.)
(सरपंच)

# प्रमाण पत्र

परियोजना प्रबंधक , छत्तीसगढ़ राज्य सड़क क्षेत्र परियोजना (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट ), रायपुर द्वारा पांडुका जतमय घटारानी गायडबरी मडेली मुडागाँव मार्ग का 2 लेन चौडीकरण एवं उन्नयन कार्य की परियोजना हेतु ग्राम ....गायडबरी..... तहसील ....मुरी..... , जिला - गरियाबंद, वन मंडल ....गरियाबंद..... के ग्राम के वन भूमि व्यपवर्तन हेतु ....24.569.... हेक्टेयर वन भूमि के प्रकरण में आदिवासी एवं अन्य गैर परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 का पालन प्रतिवेदन ।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य गैर परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 में नियत संपूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है तथा संपूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की वन भूमि ....24.569....हेक्टेयर आरक्षित / संरक्षित / राजस्व वन भूमि जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा ग्राम....गायडबरी.....तहसील....मुरी....., जिला - गरियाबंद में स्थित है , में तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गयी है :-

   ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक ....25/12/18....(प्रदर्श - ब) एवं वन तथा राजस्व विभाग का संयुक्त प्रतिवेदन (प्रदर्श - अ) पर दर्शित है ।

2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव ग्राम ....गायडबरी..... में ग्राम सभा की बैठक दिनांक ....25/12/18.... में रखा गया था जिसमें ग्राम सभा के तथा ग्राम वन समिती के सदस्य उपस्थित थे जिनको प्रयोजन के क्रियान्वयन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत कराकर विस्तार से हिंदी एवं स्थानीय भाषा में समझाइश दी गई । यह पाया गया कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार मान्यता पत्र धारक व्यक्ति नहीं है ।

अथवा

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की [illegible] निम्नानुसार है :-

| | ग्राम का नाम | वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम | रकबा (हे. में ) |
|---|---|---|---|
| . | ग्रामसभा | निरंक | निरंक |

148

यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिए गये उसमें ग्राम सभा के न्यूनतम ..50..... % सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था |

. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक .....25/12/18.....अनुसार ऐसे विलुप्त प्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नहीं हैं जिनको अनुसूचित जनजाति एवं गैर परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (1)(e) अन्तर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है |

5. संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के दिनांक .....25-/12/18..... संकल्पों के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि अनुसूचित जनजाति एवं गैर परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धरा 3 (2) के अन्तर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विधमान नहीं है |

दिनांक 25/12/18.....

अध्यक्ष

वन ग्राम / वन अधिकार समिती

नाम .....श्री कलुराम ग.....

वन अधिकार समिति

ग्राम ...ग्रामसभा...

प्रति,

तहसीलदार
बुरा

विषय :- पाण्डुका, मडेली, मुडागांव मार्ग का पुनर्निर्माण एवं उन्नयन कार्य के संबंध में जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बाबत

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि दिनांक 27/1/19 को तहसीलदार के आदेशानुसार ग्राम गायडबरी एवं पिपरहे पटा-22 में उपस्थित होकर ग्राम पाण्डुका, गायडबरी मडेली मुडागांव मार्ग का पुनः निर्माण एवं उन्नयन कार्य ए.डी.बी. लोन 3 के अन्तर्गत मार्ग के अन्तर्गत आने वाले ग्राम पिपरहे के ख.नं. 2, 12, 234, 428, 448, 454 एवं 468 रकबा क्रमशः 1.398, 0.152, 0.256, 0.436, 0.761, 0.194 एवं 0.32 कुल रकबा 3.517 एवं गरियाबन्द वन मण्डल में पाण्डुका परिक्षेत्र अन्तर्गत आरक्षित / संरक्षित वन क्षेत्र क्रमांक 90, 94, 109, 111, 113, 114, 115 एवं 116 रकबा 0.644, 2.033, 1.025, 1.600, 2.433, 1.641, 1.968 एवं 0.654 कुल 11.998 की भूमि का स्थल निरीक्षण सरपंच पंचायत प्रतिनिधिगण, वन अधिकार समिति सदस्य एवं कोटवार की उपस्थिति में किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि ग्राम गायडबरी एवं पीपरहेडी पटा-22 में स्थित राजस्व एवं वन भूमि में किसी भी व्यक्ति को अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वन अधिकार मान्यता पत्र का वितरण नहीं हुआ है। अतः प्रभावित वन भूमि पर वन अधिकार मान्यता पत्र किसी व्यक्ति, संस्था समिति को वितरण नहीं किया गया है।

अतः आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन मय पंचनामा सादर प्रस्तुत है।

पंचनामा

स्थान- गापडवरी एवं
पीपरहेडी
दिनांक - 27/1/2019

आज दिनांक 27/1/2019 को तहसीलदार के आदेशानुसार ग्राम- गापडवरी एवं पीपरहेडी पह.नं. 22 में उपस्थित होकर पाडु- गापडवरी- मंडेली मुडागांव मार्ग का पुनर्निर्माण एवं उन्नयन कार्य (ए.डी.बी. लोन 3 के अन्तर्गत आने वाले ख.नं. 2, 12, 234, 428, 448, 454 एवं 468 रकबा क्रमशः 1.398, 0.152, 0.256, 0.436, 0.761, 0.194 एवं 0.32 हे. कुल 3.517 हे. एवं पाडुका परिक्षेत्र अन्तर्गत आरक्षित / संरक्षित वन क्षेत्र कूप नं. 90, 94, 109, 111, 113, 114, 115 एवं 116 रकबा 0.644, 2.033, 1.025, 1.600, 2.433, 1.641, 1.968 एवं 0.654 कुल 11.998 उक्त मार्ग का पुनर्निर्माण एवं उन्नयन कार्य में प्रभावित हो रहा है किन्तु उक्त ख.नं. की भूमि पर ग्राम किसी भी हितग्राही या व्यक्ति को अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण नहीं हुआ है। अतः उक्त प्रभावित राजस्व एवं वनभूमि पर वन अधिकार मान्यता पत्र किसी व्यक्ति संस्था एवं समिति को वितरण नहीं किया गया है अतः यह पंचनामा मौके पर तैयार किया गया है।

27/1/2019

भजनी
सरपंच
ग्राम पंचायत पीपरहेडी
वि.खं. [illegible]

उमाशंकर
अमरलाल ध्रुव पंच
[illegible] पंच
रामगोपाल
गिरधर लाल ध्रुव
[illegible]
[illegible]

प्रदर्श "अ"

(123)

## वन एवं राजस्व विभाग के अधिकारीयों का संयुक्त जांच प्रतिवेदन

1. पांडुका - जतमई - घटारानी - गायडबरी - मडेली - मुडागाँव मार्ग के चौडीकरण एवं उन्नयन कार्य हेतु गरियाबंद जिले में छुरा तहसील के अन्तर्गत ग्राम **तौरेंगा** के खसरा नंबर 104 रकबा 0.088 हे. बड़े झाड़ के जंगल एवं गरियाबंद वन मन्डल में पांडुका परिक्षेत्र अन्तर्गत आरक्षित / संरक्षित वन क्षेत्र कक्ष क्र. 117 (रकबा 1.067 हे.), 118(रकबा 0.214 हे.), 119 (रकबा 3.457 हे.) कुल रकबा 4.738 हे. वन क्षेत्र के व्यपवर्तन किये जाने हेतु आवेदन किया गया है |
2. गैर वानिकी कार्य हेतु व्यपवर्तित किये जाने हेतु आवेदित उक्त भूमि का आज दिनांक 28/01/19 ..... को राजस्वा विभाग , वन विभाग एवं आवेदक संस्थान के अधिकारीयों / कर्मचारियों की उपस्थिति में स्थल नोरिक्षण किया गया |
3. वन भूमि के उक्त प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन बाबत अनुसूचित जनजाती एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के परिप्रेक्ष्य में स्थल निरिक्षण किये जाने पर व्यपवर्तन हेतु आवेदित भूमि पर किसी आदिवासी एवं अन्य परंपरागत वन निवासी का कृषि कार्य अथवा आवास अथवा अन्य पारंपरिक गतिविधि का निष्पादन कर कब्ज़ा नहीं पाया गया तथा उक्त भूमि व्यक्तिगत एवं सामुदायिक उपयोग किया जाना भी किसी आदिवासी एवं अन्य परंपरागत वन निवासी का नहीं पाया गया |
4. स्थल निरीक्षण के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है की ऐसे विलुप्त प्राय जनजाती समूह (पी.जी.टी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु आवेदित भूमि पर निवासरत नहीं हैं जिनका अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता ) अधिनियम 2006 की धारा 3 (1) (e) के अन्तर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखा जाना है |
5. व्यपवर्तन हेतु आवेदित भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता ) अधिनियम 2006 की धारा 3 (2) के अन्तर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है |
6. अतः इस परिप्रेक्ष्य में गैर वानिकी प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन हेतु आवेदित उक्त वन भूमि का व्यपवर्तन किया जा सकता है |

रा.नि.मं. छुरा
जिला-गरियाबंद

28/1/2019
PCM-22

परिक्षेत्र अधिकारी
पांडुका

28-1-19
Quality Assurer
A.D.B. Project C.G.R.D.P.
P.W.D. Raipur. (C.G.)

28-1-19
ASSISTANT PROJECT MANAGER
A.D.B. PROJECT,
C.G. ROAD DEVELOPMENT PROJECT,
P.W.D. RAIPUR

प्रदर्श "ब" (125)

**ग्राम सभा... ... की बैठक दिनांक..... की कार्यवाही का विवरण**

**ग्राम** .....तोरेगा.....

**स्थान** .....पंचायत भवन.....

आज दिनांक 23/1/2019 को ग्राम सभा एवं वन समिती के सदस्य बैठक मे उपस्थित थे, बैठक मे निम्न विषयों पर चर्चा की गयी :-

1. ग्राम तोरेगा .....में आवेदक परियोजना प्रबंधक , छत्तीसगढ़ राज्य सड़क क्षेत्र परियोजना (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट ), रायपुर द्वारा जिला गरियाबन्द अन्तर्गत छुरा से राजिम व्हाया तर्रिघाट मार्ग का 2 लेन चौडीकरण एवं उन्नयन कार्य की परियोजना हेतु गैर वानिकी प्रयोजन हेतु वन भूमि की मांग की गयी है, इस प्रस्ताव बाबत विस्तृत चर्चा की गयी |
2. प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं प्रस्तावित व्यपवर्तित की जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी |
3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिपेक्ष्य में अनुसूचित जन जाती एवं गैर परम्परागत वन निवासी वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी | जो वन भूमि परियोजना हेतु व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी , गैर परम्परागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य , आवास या अन्य पारंपरिक गतिविधी संपादित नहीं कर रहे हैं एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक ) किसी आदिवासी या गैर परम्परागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है | **अथवा**

निम्न आदिवासी / गैर परम्परागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है:-

| क्र. | ग्राम का नाम | वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम | रकबा (हे. में ) |
|---|---|---|---|
| | | | निरंक |

127

अतः यह एक मत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि 24.579.....हेक्टेयर आरक्षित / संरक्षित / राजस्व वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन के लिये छुरा से राजिम व्हाया तर्रिघाट मार्ग का 2 लेन चौडीकरण एवं उन्नयन कार्य की परियोजना के लिये अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधानों अनुसार व्यपवर्तित की जावे ।

सचिव
ग्राम पंचायत तौरेना
वि.खं.छुरा,जिला गरियाबंद(छ.)

सरपंच
हस्ताक्षर/सील
ग्रा.पं.तौरेना
वि.खं.छुरा,जि.गरियाबंद(छ.)
(सरपंच)

हस्ताक्षर/सील
(सचिव)

प्रदर्श "स" 135

## प्रमाण पत्र

परियोजना प्रबंधक , छत्तीसगढ़ राज्य सड़क क्षेत्र परियोजना (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट ), रायपुर द्वारा पांडुका जतमय घटारानी गायडबरी मडेली मुडागाँव मार्ग का 2 लेन चौडीकरण एवं उन्नयन कार्य की परियोजना हेतु ग्राम ..तोरेगा ,तहसील ..... , जिला - गरियाबंद, वन मंडल ..पांडुका के ग्राम के वन भूमि व्यपवर्तन हेतु 2.4569 हेक्टेयर वन भूमि के प्रकरण में आदिवासी एवं अन्य गैर परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 का पालन प्रतिवेदन |

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य गैर परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 में नियत संपूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है तथा संपूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की वन भूमि ....हेक्टेयर आरक्षित / संरक्षित / राजस्व वन भूमि जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है , तथा ग्राम. तोरेगा .....तहसील. छुरा ....., जिला - गरियाबंद में स्थित है , में तद्नुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गयी है :-

   ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक 23/1/2019.....(प्रदर्श - ब) एवं वन तथा राजस्व विभाग का संयुक्त प्रतिवेदन (प्रदर्श - अ) पर दर्शित है |

2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव ग्राम .. तोरेगा .....में ग्राम सभा की बैठक दिनांक 23/1/2019.....में रखा गया था जिसमें ग्राम सभा के तथा ग्राम वन समिती के सदस्य उपस्थित थे जिनको प्रयोजन के क्रियान्वयन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत कराकर विस्तार से हिंदी एवं स्थानीय भाषा में समझाइश दी गई | यह पाया गया कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार मान्यता पत्र धारक व्यक्ति नहीं हैं |

अथवा

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है :-

| क्र. | ग्राम का नाम | वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम | रकबा (हे. में ) |
|---|---|---|---|
| | | — | शून्य |

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिए गये उसमें ग्राम सभा के न्यूनतम ..50.....% सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था ।
4. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 23/1/2019...अनुसार ऐसे विलुप्त प्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नहीं हैं जिनको अनुसूचित जनजाति एवं गैर परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (1)(e) अन्तर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है ।
5. संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के दिनांक ..23/1/2019.. संकल्पों के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि अनुसूचित जनजाति एवं गैर परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धरा 3 (2) के अन्तर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विधमान नहीं है ।

दिनांक ..23/1/19...

**अध्यक्ष**

**वन ग्राम / वन अधिकार समिती**

**नाम** .....

अध्यक्ष
वन अधिकार समिति
ग्राम....

ग्राम.....

प्रदर्श "अ"

(83)

# वन एवं राजस्व विभाग के अधिकारीयों का संयुक्त जांच प्रतिवेदन

1. पांडुका - जतमई - घटारानी - गायडबरी - मडेली - मुडागाँव मार्ग के चौडीकरण एवं उन्नयन कार्य हेतु गरियाबंद जिले में छुरा तहसील के अन्तर्गत ग्राम **मडेली** के खसरा नंबर 1752 रकबा 0.054 हे., 1781 रकबा 0.012 हे बड़े झाड़ के जंगल कुल रकबा **0.066** हे. वन क्षेत्र के व्यपवर्तन किये जाने हेतु आवेदन किया गया है |
2. गैर वानिकी कार्य हेतु व्यपवर्तित किये जाने हेतु आवेदित उक्त भूमि का आज दिनांक 27/1/19 को राजस्वा विभाग , वन विभाग एवं आवेदक संस्थान के अधिकारीयों / कर्मचारियों की उपस्थिति में स्थल नोरिक्षण किया गया |
3. वन भूमि के उक्त प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन बाबत अनुसूचित जनजाती एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के परिप्रेक्ष्य में स्थल निरिक्षण किये जाने पर व्यपवर्तन हेतु आवेदित भूमि पर किसी आदिवासी एवं अन्य परंपरागत वन निवासी का कृषि कार्य अथवा आवास अथवा अन्य पारंपरिक गतिविधि का निष्पादन कर कब्ज़ा नहीं पाया गया तथा उक्त भूमि व्यक्तिगत एवं सामुदायिक उपयोग किया जाना भी किसी आदिवासी एवं अन्य परंपरागत वन निवासी का नहीं पाया गया |
4. स्थल निरीक्षण के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है की ऐसे विलुप्त प्राय जनजाती समूह (पी.जी.टी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु आवेदित भूमि पर निवासरत नहीं हैं जिनका अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता ) अधिनियम 2006 की धारा 3 (1) (e) के अन्तर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखा जाना है |
5. व्यपवर्तन हेतु आवेदित भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता ) अधिनियम 2006 की धारा 3 (2) के अन्तर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विधमान नहीं है |
6. अतः इस परिप्रेक्ष्य में गैर वानिकी प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन हेतु आवेदित उक्त वन भूमि का व्यपवर्तन किया जा सकता है |

सहा. वन अधिकारी
गायडबरी

27/1/2019

27-1-19
Quality Assurer
A.D.B. Project C.G.R.D.P.
P.W.D., Raipur. (C.G.)

27-1-19
ASSISTANT PROJECT MANAGER
A.D.B. PROJECT,
C.G. ROAD DEVELOPMENT PROJECT,
P.W.D. RAIPUR

27/01/2019
राजस्व निरीक्षक
रा.नि.मं. छुरा, तह. छुरा
जिला-गरियाबंद

प्रदर्श "ब" (85)

**ग्राम सभा** मडेला **की बैठक दिनांक** 25/08/18 **की कार्यवाही का विवरण**

**ग्राम** मडेला

**स्थान** पंचायत भवन

आज दिनांक मडेला को ग्राम सभा एवं वन समिती के सदस्य बैठक मे उपस्थित थे, बैठक मे निम्न विषयों पर चर्चा की गयी :-

1. ग्राम मडेला में आवेदक परियोजना प्रबंधक , छत्तीसगढ़ राज्य सड़क क्षेत्र परियोजना (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट ), रायपुर द्वारा जिला गरियाबन्द अन्तर्गत पांडुका जतमय घटारानी गायडबरी मडेली मुडागाँव मार्ग का 2 लेन चौडीकरण एवं उन्नयन कार्य की परियोजना हेतु गैर वानिकी प्रयोजन हेतु वन भूमि की मांग की गयी है, इस प्रस्ताव बाबत विस्तृत चर्चा की गयी |
2. प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं प्रस्तावित व्यपवर्तित की जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी |
3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिपेक्ष्य में अनुसूचित जन जाती एवं गैर परम्परागत वन निवासी वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी | जो वन भूमि परियोजना हेतु व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी , गैर परम्परागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य , आवास या अन्य पारंपरिक गतिविधी संपादित नहीं कर रहे हैं एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक ) किसी आदिवासी या गैर परम्परागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है |

अथवा

निम्न आदिवासी / गैर परम्परागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है:-

| क्र. | ग्राम का नाम | वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम | रकबा (हे. में ) |
|---|---|---|---|
| 1. | मडेली | निरंक | निरंक |

87

अतः यह एक मत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि 24.569 हेक्टेयर आरक्षित / संरक्षित / राजस्व वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन के लिये पांडुका जतमय घटारानी गायडबरी मडेली मुडागाँव मार्ग का 2 लेन चौडीकरण एवं उन्नयन कार्य की परियोजना के लिये अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधानों अनुसार व्यपवर्तित की जावे ।

हस्ताक्षर/सील
ग्राम पंचायत-मडेली
(सचिव)
वि.खं.छुरा, जिला (छ.ग.)

हस्ताक्षर/सील
सरपंच
ग्राम पंचायत मडेली
वि.खं.छुरा जिला गरियाबंद (छ.ग.)

# प्रमाण पत्र

परियोजना प्रबंधक , छत्तीसगढ़ राज्य सड़क क्षेत्र परियोजना (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट ), रायपुर द्वारा पांडुका जतमय घटारानी गायडबरी मडेली मुडागाँव मार्ग का 2 लेन चौडीकरण एवं उन्नयन कार्य की परियोजना हेतु ग्राम .....मडेली..... ,तहसील .....छुरा..... , जिला - गरियाबंद, वन मंडल ..... के ग्राम के वन भूमि व्यपवर्तन हेतु .....24.569..... हेक्टेयर वन भूमि के प्रकरण में आदिवासी एवं अन्य गैर परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 का पालन प्रतिवेदन ।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य गैर परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 में नियत संपूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है तथा संपूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की वन भूमि ...24.569.....हेक्टेयर आरक्षित / संरक्षित / राजस्व वन भूमि जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है , तथा ग्राम.....मडेली..... .....तहसील.....छुरा....., जिला - गरियाबंद में स्थित है , में तद्नुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गयी है :-

   ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक .....25/8/18..... (प्रदर्श - ब) एवं वन तथा राजस्व विभाग का संयुक्त प्रतिवेदन (प्रदर्श - अ) पर दर्शित है ।

2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव ग्राम .....मडेली.....में ग्राम सभा की बैठक दिनांक ...25/8/18.....में रखा गया था जिसमें ग्राम सभा के तथा ग्राम वन समिती के सदस्य उपस्थित थे जिनको प्रयोजन के क्रियान्वयन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत कराकर निम्नतार से हिंदी एवं स्थानीय भाषा में समझाइश दी गई । यह पाया गया कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार मान्यता पत्र धारक व्यक्ति नहीं है ।

अथवा

प्रस्तावित वन क्षेत्र में वनाधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या आधार निम्नानुसार है :

| क्र. | ग्राम का नाम | वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम | रकबा (हे. में ) |
|---|---|---|---|
| 1. | मडेली | निरंक | निरंक |

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिए गये उसमें ग्राम सभा के न्यूनतम 50.....% सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था ।
4. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 25/8/18.....अनुसार ऐसे विलुप्त प्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नहीं हैं जिनको अनुसूचित जनजाति एवं गैर परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (1)(e) अन्तर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है ।
5. संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के दिनांक 25/8/18..... संकल्पों के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि अनुसूचित जनजाति एवं गैर परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धरा 3 (2) के अन्तर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विधमान नहीं है ।

दिनांक 25/8/18

अध्यक्ष

वन ग्राम / वन अधिकार समिति

नाम [illegible]

[illegible]

वन [illegible] समिति

| क्र. | ग्राम का नाम | वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम | रकबा (हे. में ) |
|---|---|---|---|
| 1. | मडेली | निरंक | निरंक |

87

अतः यह एक मत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि 24.569 हेक्टेयर आरक्षित / संरक्षित / राजस्व वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन के लिये पांडुका जतमय घटारानी गायडबरी मडेली मुडागाँव मार्ग का 2 लेन चौडीकरण एवं उन्नयन कार्य की परियोजना के लिये अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधानों अनुसार व्यपवर्तित की जावे |

सचिव
हस्ताक्षर/सील
ग्राम पंचायत-मडेली
(सचिव)
वि.खं.छुरा, जिला गरियाबंद (छ.ग.)

कमाटीबाई
हस्ताक्षर/सील
सरपंच
ग्राम पंचायत मडेली
वि.खं.छुरा,जिला गरियाबंद (छ.ग.)

प्रदर्श "स" (95)

# प्रमाण पत्र

परियोजना प्रबंधक , छत्तीसगढ़ राज्य सड़क क्षेत्र परियोजना (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट ), रायपुर द्वारा पांडुका जतमय घटारानी गायडबरी मडेली मुडागाँव मार्ग का 2 लेन चौडीकरण एवं उन्नयन कार्य की परियोजना हेतु ग्राम .....मडेली..... तहसील .....छुरा..... , जिला - गरियाबंद, वन मंडल ..... के ग्राम के वन भूमि व्यपवर्तन हेतु .....24.569..... हेक्टेयर वन भूमि के प्रकरण में आदिवासी एवं अन्य गैर परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 का पालन प्रतिवेदन ।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य गैर परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 में नियत संपूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है तथा संपूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की वन भूमि .....24.569.....हेक्टेयर आरक्षित / संरक्षित / राजस्व वन भूमि जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है , तथा ग्राम.....मडेली.....तहसील.....छुरा..... जिला - गरियाबंद में स्थित है , में तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गयी है :-

   ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक .....25/8/18.....(प्रदर्श - ब) एवं वन तथा राजस्व विभाग का संयुक्त प्रतिवेदन (प्रदर्श - अ) पर दर्शित है ।

2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव ग्राम .....मडेली.....में ग्राम सभा की बैठक दिनांक ..25/8/18.....में रखा गया था जिसमें ग्राम सभा के तथा ग्राम वन समिती के सदस्य उपस्थित थे जिनको प्रस्तावित के क्रियान्वयन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत कराकर निम्नगत से हिंदी एवं स्थानीय भाषा में समझाइश दी गई । यह पाया गया कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार मान्यता पत्र धारक व्यक्ति नहीं है ।

अथवा

प्रस्तावित वन क्षेत्र में पात्रता वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या [illegible] निम्नानुसार है :-

| क्र. | ग्राम का नाम | वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम | रकबा (हे. में ) |
|---|---|---|---|
| 1. | मडैली | निरंक | निरंक |

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिए गये उसमें ग्राम सभा के न्यूनतम 50.....% सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था ।
4. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 25/8/18.....अनुसार ऐसे विलुप्त प्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नहीं हैं जिनको अनुसूचित जनजाति एवं गैर परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (1)(e) अन्तर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है ।
5. संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के दिनांक 25/8/18..... संकल्पों के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि अनुसूचित जनजाति एवं गैर परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धरा 3 (2) के अन्तर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विधमान नहीं है ।

दिनांक 25/8/18

अध्यक्ष

वन ग्राम / वन अधिकार समिति

नाम [illegible]

अध्यक्ष

वन [illegible]